

12/02

आज यह पत्रावली पेश की। वकील  
 कारिगन उपर। पत्रावली का अवलोकन  
 किया गया। बड़ी प्रार्थनागत लखन  
 पुत्र चिरंजीलाल, विमला, आशा, दिपिका  
 मीना, पुष्पान चिरंजीलाल एवं प्रार्थना  
 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त  
 अन्यायी प्रमाण में हमारे दाय लोक  
 अदालत की आवना से हो गया है।  
 जिसके लिए समझौता एवं फाँट  
 23/6/22 का लिए गया है। शत  
 मात्र में प्रार्थनागत उक्त प्रार्थना-पत्र  
 में कोई कापवासी नहीं चाले है।  
 प्रार्थना-पत्र को शही स्वर पर ब्यापि  
 करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे पत्रावली व प्राडर  
 प्रार्थना-पत्र व प्रार्थना-पत्र के साथ  
 संलग्न आपकी सम्बन्धी पत्र का उम्मीद  
 अध्ययन किया गया। पत्रावली में आपकी  
 राजीनामा होने से पत्रावली के आगे बढ़ने  
 चलने का कोई उचित नहीं है। अतः पत्रावली  
 शही स्वर पर ब्यापि किया जाय है।  
 पत्रावली जैदल शुरू होकर 12 फरवरी तक  
 बाद पूर्ण ड्राईर इफाल है।

अध्यक्ष । श्री  
 बरोड (अध्यक्ष)